बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश संख्या–08 / स्था०–24–14 / 2025.................. पटना, दिनांक–............................

मानक संचालन प्रक्रिया
(SOP)
प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति

e-SAMBANDHAN Portal
(http://edu-online.bihar.gov.in)

उद्देश्य:–

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ प्रारंभिक निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति की प्रक्रिया से संबधितों को अवगत कराना।

विस्तार एवं प्रारंभ:–

1. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषा:–

1. अधिनियम से अभिप्रेत है, बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009;
2. नियमावली से अभिप्रेत है, बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011;
3. 'अध्याय', 'धारा' एवं 'अनुसूची' से क्रमशः अभिप्रेत है, अधिनियम का अध्याय, धारा एवं अनुसूची;
4. 'बच्चा' से अभिप्रेत है, 6–14 आयु वर्ग का कोई बच्चा;
5. "शैक्षिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकार;
6. "प्राथमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वर्ग 1 से वर्ग 5 तक का विद्यालय;
7. "प्रारंभिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वर्ग 1 से वर्ग 8 तक का विद्यालय;

1

8. "प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी;
9. "जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा अभियान)" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी;
10. "जिला शिक्षा पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी;

<u>प्राधिकार:–</u>

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा;
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी;
3. जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत उपसमाहर्त्ता स्तर का एक पदाधिकारी;
4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा अभियान);
5. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।

<u>संक्षिप्त नाम की परिभाषा (**Abbreviation**):–</u>

RTE Act- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
BEO- प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
DPO(SSA)- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा अभियान)
DEO- जिला शिक्षा पदाधिकारी

<u>भूमिका एवं जिम्मेदारी:–</u>

1. विद्यालय–

सभी प्रारंभिक निजी विद्यालय प्रस्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही विद्यालय का संचालन अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत करेंगे। विद्यालय e-SAMBANDHAN Portal (http://edu-online.bihar.gov.in) पर ऑनलाईन आवेदन वांछित दस्तावेज के साथ अपलोड करेंगे। प्रस्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र वेबसाईट से डाउनलोड करेंगे। प्रस्वीकृति की अवधि समाप्त होने के उपरान्त संबंधित विद्यालय नवीनीकरण (Renewable) हेतु e-SAMBANDHAN Portal (http://edu-online.bihar.gov.in) पर ऑनलाईन आवेदन वांछित दस्तावेज के साथ अपलोड करेंगे।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी–

e-SAMBANDHAN Portal (http://edu-online.bihar.gov.in) पर ऑनलाईन किये गये आवेदनों/अभिलेखों की जाँच कर उसे संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में अग्रसारित करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित आवेदनों को

''प्रस्वीकृति हेतु जिला में गठित समिति'' के समक्ष रखेंगे। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत आवेदनों के लिए 'प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र' को वेबसाईट पर अपलोड करेंगे एवं अस्वीकृत आवेदनों के संबंध में कारण सहित सूचना वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।

3. **प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी–**
जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त अग्रसारित ऑनलाईन आवेदनों/अभिलेखों की जाँच कर अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्वीकृति समिति के समक्ष रखे जाने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में प्रेषित करेंगे।

4. **समिति–**
नियम के आलोक में आवेदनों/अभिलेखों के जाँचोपरान्त अपनी अनुशंसा करेगी।

<u>प्रावधानः–</u>

I. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ विद्यालयों की प्रस्वीकृति का प्रावधान बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम 11 के प्रावधानों के तहत निम्नवत् है :–

(1) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के द्वारा स्थापित, धारित या नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर, प्रत्येक विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु प्रत्येक जिला में एक तीन सदस्यीय समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :–

(क)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	संयोजक
(ख)	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत उपसमाहर्त्ता स्तर का एक पदाधिकारी	सदस्य
(ग)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा अभियान)	सदस्य सचिव।

(2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के द्वारा स्थापित, धारित या नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर, प्रत्येक विद्यालय के द्वारा, जो इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से स्थापित हैं, उन्हें इस नियमावली के लागू होने के छः माह के अंदर प्रपत्र–1 में समिति के सदस्य सचिव के समक्ष अधिनियम के परिशिष्ट में अंकित मानक एवं मानदंडों के अनुपालन के संबंध में एवं निम्नांकित शर्तों के संबंध में स्वघोषणा के माध्यम से जानकारी दी जाएगी :–

(क) यह कि विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत् निबंधित किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास के द्वारा संचालित किया जा रहा है;

(ख) यह कि विद्यालय किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति समूह या किन्हीं व्यक्तियों के संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा लाभ के लिए संचालित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यह कि विद्यालय संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप कार्य करता है;

(घ) यह कि विद्यालय के भवन अथवा अन्य संरचनाओं या मैदान का उपयोग शिक्षा के लिए और दक्षता विकास के लिए ही होता है;

(च) यह कि विद्यालय राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु खुला है;

(छ) यह कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा अथवा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा अभियान) द्वारा समय-समय पर माँगी गई सूचनाओं एवं प्रतिवेदनों को विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए अथवा विद्यालयी क्रियाकलाप की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा जो निदेश जारी किए जाएँगे, उनका अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(3) सदस्य सचिव द्वारा प्रपत्र-1 में प्राप्त प्रत्येक स्वघोषणा पत्र को प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक किया जाएगा।

(4) स्वघोषणा प्राप्त होने के 3 (तीन) महीनों के अंदर समिति अथवा समिति के सदस्य वैसे सभी विद्यालयों का स्थल-विशेष पर जाकर निरीक्षण करेंगे, जिन्होंने प्रपत्र-1 में निहित मानकों एवं मानदंडों तथा शर्तों, जो उप नियम 2 में उल्लिखित हैं, को पूरा करने से संबंधित दावा किया है।

(5) उप नियम (4) के अनुसार निरीक्षण करने के पश्चात समिति के सदस्य सचिव के द्वारा निरीक्षण-प्रतिवेदन जनसाधारण की जानकारी हेतु रखा जाएगा और जो विद्यालय मानकों, मानदंडों एवं शर्तों के अनुरूप पाये जायेंगे, उन्हें समिति के द्वारा 15 दिनों के अंदर प्रपत्र-2 में प्रस्वीकृति दी जाएगी।

(6) जो विद्यालय उप नियम(2) के मानकों, मानदंडों एवं शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं, उनकी सूची समिति के सदस्य सचिव के द्वारा तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी।

संबंधित विद्यालय जिन्हे प्रस्वीकृति नहीं प्रदान की गई है, वे निर्धारित तिथि के 3 (तीन) वर्षों के अंदर मानकों, मापदंडों एवं शर्तों को पूरा करते हुए विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु पुनः समिति के समक्ष अनुरोध कर सकेंगे।

(7) जो विद्यालय उप नियम 2 में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्तों को इस अधिनियम के लागू होने के 3 (तीन) साल तक पूरा नहीं करते, वे कार्य करना बंद कर देंगे।

(8) इस नियमावली के लागू होने के बाद स्थापित विद्यालय, जो राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित या धारित नहीं हैं, को उपनियम 2 में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्तों को पूरा करना होगा, जिससे कि वे प्रस्वीकृति प्राप्त करने के हकदार हो सकें।

(9) वैसे विद्यालय जो निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्वीकृति प्राप्त किए बिना संचालित रहते है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड के भागी होंगे। प्रस्वीकृति के लिए गठित समिति दंड के संबंध में सक्षम प्राधिकार होगी।

II. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 की उप धारा (3) एवं धारा 19 की उप धारा (3) के प्रयोजनार्थ विद्यालयों की प्रस्वीकृति के प्रत्याहरण की प्रक्रिया बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम 12 के प्रावधानों के तहत निम्नवत् है :—

(1) जहाँ समिति के सदस्य/सदस्यों को स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर विश्वास करने का कारण बनता है, जिसका लिखित अभिलेख प्राप्त हो, कि नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्वीकृत विद्यालय ने प्रस्वीकृति की एक अथवा एकाधिक शर्तों का उल्लंघन किया है या अधिनियम की अनुसूची (Schedule) में उल्लिखित मानकों को पूरा करने में असफल रहा है, वहाँ समिति निम्न रूपेण कार्य करेगी :—

(क) मंजूरी की शर्त्तों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए एक नोटिस जारी करेगी और एक महीना के अंदर स्पष्टीकरण मांगेगी;

(ख) स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने या स्पष्टीकरण नियत अवधि के अंदर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में समिति के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण के उपरांत समिति इस आशय का निर्णय लेगी कि विद्यालय की प्रस्वीकृति कायम रखी जाए या इसे प्रत्याहरित कर लिया जाए;

(ग) प्रस्वीकृति के प्रत्याहरण संबंधी कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि विद्यालय को सुनवाई का अवसर न प्रदान किया गया हो;

प्रस्वीकृति–प्रत्याहरण संबंधी आदेश पारित करने के पूर्व शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

शिक्षा विभाग के अनुमोदनोपरांत सदस्य सचिव विद्यालय की प्रस्वीकृति प्रत्याहरण संबंधी आदेश पारित करेंगे जिसमें प्रत्याहरण संबंधी कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(घ) नियम 12 के उप नियम 1 की कंडिका 'ग' के आलोक में निर्गत आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार में किसी प्रकार का अपील स्वीकार्य नहीं होगा।

(2) सदस्य–सचिव द्वारा निर्गत प्रस्वीकृति–प्रत्याहरण का आदेश आगामी शैक्षणिक वर्ष से तुरंत प्रभावी होगा तथा आदेश में पड़ोस के विद्यालय का उल्लेख होगा जिसमें प्रस्वीकृति वापस किए गए विद्यालय के बच्चे नामांकित होंगे।

मान और मानकः–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत विद्यालय के लिए मान और मानक निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	मद	मान और मानक	
1	शिक्षकों की संख्याः–	नामांकित बालकों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
	(क) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए	साठ तक	दो
		इकसठ से नब्बे के मध्य	तीन
		इक्यानवे और एक सौ बीस के मध्य	चार
		एक सौ इक्कीस और दो सौ के मध्य	पांच
		एक सौ पचास बालकों से अधिक	पांच एवं एक प्रधान अध्यापक
		दो सौ बालकों से अधिक	छात्र–शिक्षक अनुपात (प्राध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा।
	(ख) छठी कक्षा में आठवीं कक्षा के लिए	(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो – (i) विज्ञान और गणित; (ii) सामाजिक अध्ययन;	

		(iii) भाषा। (2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। (3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां– (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक; (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक– (क) कला शिक्षा; (ख) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा; (ग) कार्य शिक्षा।
2	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे– (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय–सह–भंडार–सह प्रधान अध्यापक कक्ष; (ii) बाधा मुक्त पहुंच; (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् शौचालय; (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जलसुविधा; (v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहां एक रसोई; (vi) खेल का मैदान; (vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं।
3	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवस; (ii) छठी कक्षा में आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्यदिवस; (iii) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटे; (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हजार शिक्षण घंटे।
4	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या	पैंतालीस शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं।
5	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए

		जाएंगे।
6	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचारपत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।
7	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

ई–संबंधन पोर्टलः–

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 एवं बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम 11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को राज्य सरकार से प्रस्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त प्रस्वीकृति की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को ऑनलाईन किए जाने के लिए ई–संबंधन पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 22.07.2021 से किया गया।
- प्रस्वीकृति प्राप्ति हेतु शिक्षा विभाग के वेबसाईट पर Important Links में e-Sambandhan या edu-online.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
- इस वेब पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विद्यालय प्रबंध समिति अपने विद्यालय के प्रस्वीकृति प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पर की गई प्रत्येक कार्रवाई की सूचना आवेदक को पोर्टल से प्राप्त हो जाएगी।
- ऑनलाईन आवेदन करने के क्रम में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए मोबाईल नंबर–7004070073 एवं 7396000010 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्वीकृति की प्रक्रियाः—

Step-1 –निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति प्राप्ति हेतु शिक्षा विभाग के बेवसाईट पर Important Links में e-Sambandhan या edu-online.bihar.gov.in पर आवेदन करने के लिए जाना है।

Step-2 –<u>New Registration R.T.E</u> पर Registration किया जाना है।

Step-3 – Registration के पश्चात् Registered User Login पर Login किया जाना है। Login करने पर User के पास उनके Registered मोबाईल नं0 पर OTP जायेगा । उक्त OTP को प्रविष्ट करने के पश्चात् ही Registered User Login कर पायेंगे। यह व्यवस्था System को misuse से बचाने के लिए है।

SCHOOL LOGIN

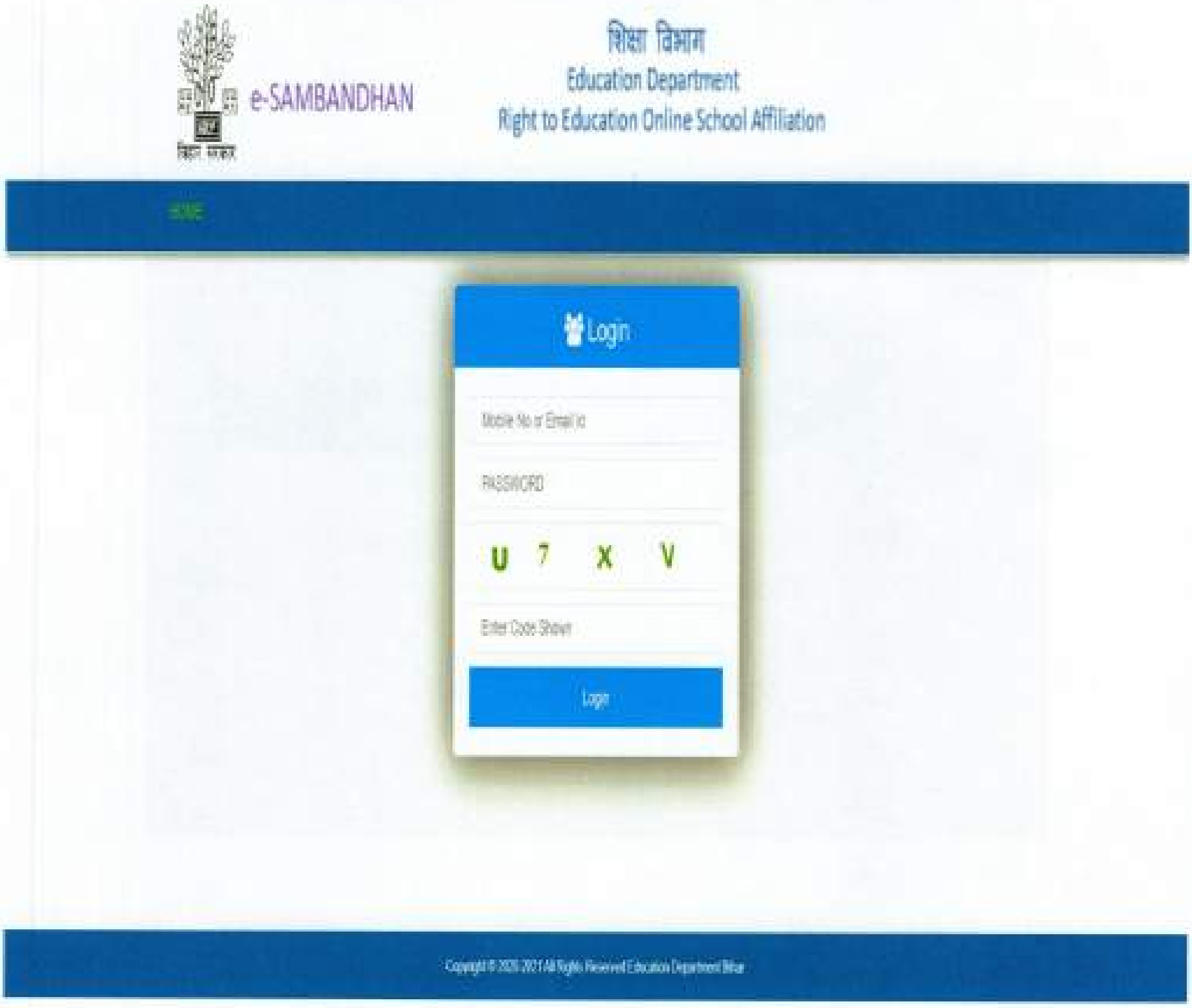

Step-4 –**<u>Registered</u>** **<u>User Login</u>** पर Login के पश्चात् <u>School Dashboard</u> पर सभी वांछित सूचनाएं अंकित किया जाना एवं संदर्भित अभिलेख अपलोड किया जाना।

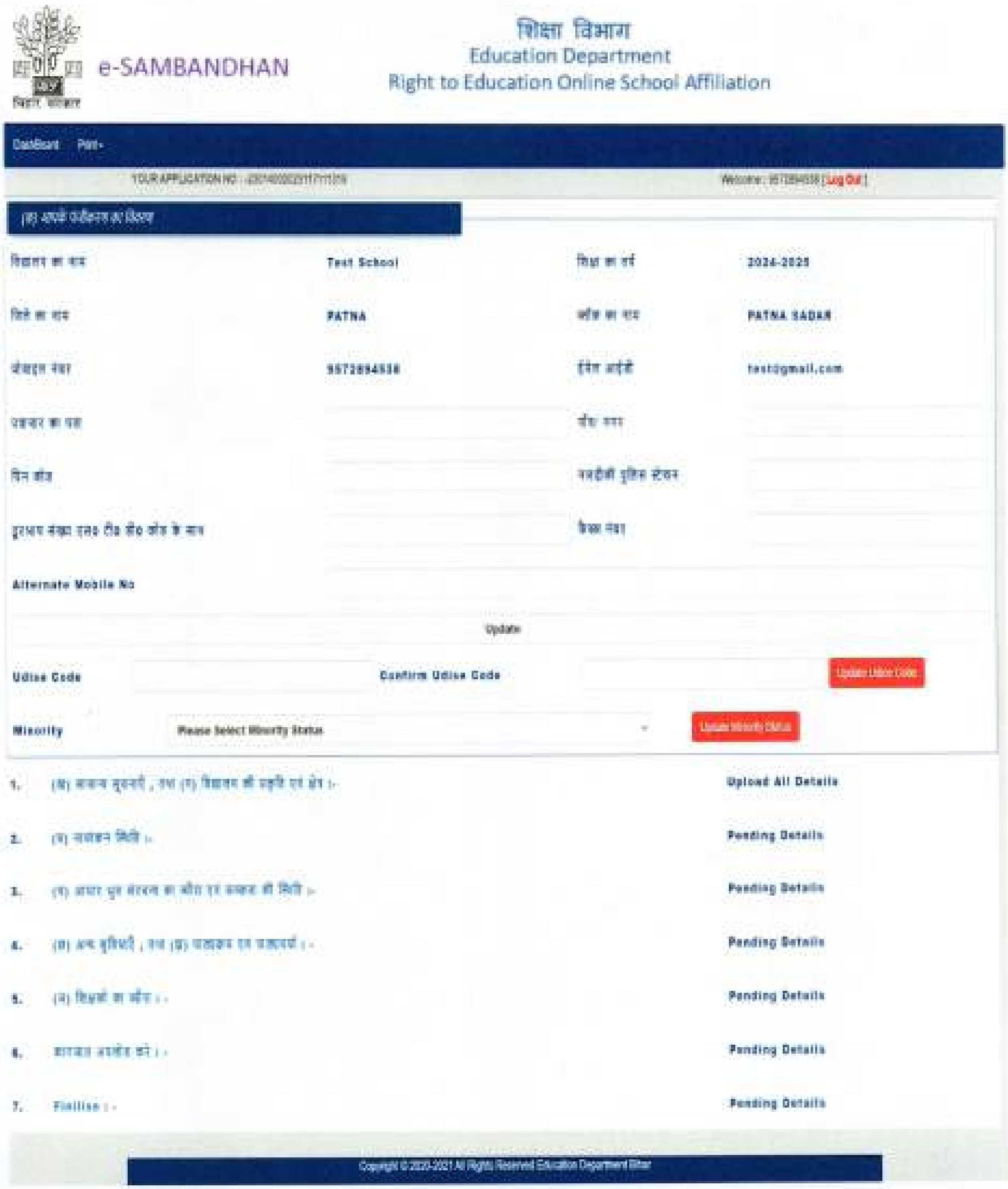

Z

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

e-SAMBANDHAN

बिहार सरकार

YOUR APPLICATION NO : -2301400202511141113315

Welcome : 8969342118 [Log Out]

(ख) सामान्य सूचनाएँ (Note File Upload Max Size is 700 KB)

स्थापना का वर्ष	स्थापना का वर्ष चुने	पहली बार विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि	
ट्रस्ट / सोसाएटी/ प्रबंधन समिति का नाम		क्या ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति निबंधित है ?	Yes No
क्या ट्रस्ट / सोसाएटी/ प्रबंधन समिति के निबंधित की वैधता अवधि		क्या ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति के गैरमालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की संपुष्टि हेतु सदस्यों की सूचि पता के साथ शपथ-पत्र के रूप में सलग्न है ?	Yes No
		ट्रस्ट/सोसाइटी/ प्रबंधन समिति के पूर्ण प्रपत्र के साथ-साथ सदस्यों की सूची पता के साथ शपथ-पत्र सहित अपलोड करें।	Choose File No...sen

विद्यालय के चेयरमैन/ प्रेसिडेंट , मैनेजर के कार्यालय का पता :- (Note File Upload Max Size is 700 KB)

नाम		पद नाम	
दूरभाष/Mobile No		Email Id	
पता			
प्रधानअध्यापक (principal) का नाम		प्रधानअध्यापक (principal) का मोबाइल नम्बर	

1

अंतिम तीन वर्षों के कुल आय एवं व्यय(बचत/ घाटा) (Note File Upload Max Size is 700 KB)

वर्ष	आय	व्यय	अभियुक्ति(Remarks)
2015-2016	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	

अंतिम तीन वर्षों के कुल आय एवं व्यय(बचत/ घाटा)(Audit Report) Upload करे — Choose File No file chosen

(ग) विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र :- (Note File Upload Max Size is 700 KB)

शिक्षण का माध्यम	Select	विद्यालय का प्रकार(प्रवेश एवं निकास की कक्षाए अंकित करे)	Select
यदि सहायता प्राप्त है तो सहायता प्रदत्त करने वाली एजेंसी का नाम एवं सहायता का प्रतिशत		क्या विद्यालय प्राधिकार/BOARD मान्यता प्राप्त है ?	Select
यदि हाँ तो किस प्राधिकार/BOARD द्वारा मान्यता प्राप्त है, निबंधित संख्या			
क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है ?	Select	क्या विद्यालय के भवन/ अन्य आधारभूत संरचनाएं / मैदान केवल शिक्षा और कौशल के लिए व्यवहृत की जाती है ?	Select
	Choose File No file chosen		
विद्यालय का कुल क्षेत्रफल (दशमलव में/ In Decimal)		क्षेत्र का प्रकार	Select Area Type
विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या-क्या सुविधाएँ है ?			

Submit

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved Education Department Bihar

बिहार सरकार

e-SAMBANDHAN

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

YOUR APPLICATION NO : -23014002025111411 3315

Welcome : 8969342118 [Log Out]

घ. नामांकन स्थिति

वर्ग	सेक्सशन की संख्या	विधार्थियो की संख्या
1. पूर्व प्राथमिक(Pre-primary)		
2. 1-5		
3. 6-8		

Submit

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved Education Department Bihar

2

e-SAMBANDHAN

शिक्षा विभाग

Education Department

Right to Education Online School Affiliation

YOUR APPLICATION NO : -230140020251114113315

Welcome : 8969342118 [Log Out]

ब. अधार भूत संरचना का ब्यौरा एवं स्वच्छता की स्थिति

कक्ष	संख्या	औसत आकार (LxB)in feet
1. वर्गकक्ष		
2. कार्यालय कक्ष-सह-भंडार, कक्ष-सह प्रधानाध्यापक कक्ष		
3. रसोईघर-सह-भंडार		

Submit

2

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

e-SAMBANDHAN

बिहार सरकार

YOUR APPLICATION NO : -2301400202511114113315 Welcome : 8969342118 [Log Out]

(छ) अन्य सुविधाएँ

क्या सभी सुविधाएँ अवरोधरहित पहुँच के अन्तर्गत है --Select--

शिक्षण अधिगम सामग्री (सूचि संलग्न करें)

खेलकूद सामग्री (सूची संलग्न करें)

पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा (हाँ /नहीं) --Select--

पुस्तकों की संख्या

पत्रिकाएँ /समाचार पत्र की संख्या

पेयजल की सुविधा के प्रकार एवं संख्या

सवच्छता की स्थिति

☐ क्या हर कक्षा में कूड़ादान है ?

☐ क्या प्रयाप्त सामूहिक कूड़ादान है ?

☐ सैनिटरी पैड Vending Machine की उपलब्धता है ?

☐ सैनिटरी पैड की उपलब्धता है ?

डब्लू सी और मूत्रालय का प्रकार select

बालकों के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या

बालिकाओं के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या

(ज) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है। (वर्ग 8 तक)

1

छात्रों के आकलन की पद्धति	
क्या विद्यालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है।	--Select--

Submit

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved Education Department Bihar

2

e-SAMBANDHAN

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

Education Department

Right to Education Online School Affiliation

YOUR APPLICATION NO : -230140020251114113315

Welcome : 8969342118 [Log Out]

(ज) शिक्षकों का ब्योरा

शिक्षक का नाम		पिता /पति /पत्नी का नाम	
जन्म तिथि		शैक्षिक योग्यता (highest qualification)	--Select--
व्यवसायिक योग्यता		शैक्षणिक अनुभव	--Select--
किस वर्ग के शिक्षक	--Select--	नियुक्ति की तिथि	
प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	No	क्या आप प्रधान शिक्षक है	No
शैक्षिक योग्यता दस्तावेज़ अपलोड करें (PDF *)	Choose File No ...osen	व्यवसायिक योग्यता दस्तावेज़ अपलोड करें (PDF *)	Choose File No fi...osen

Submit

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved Education Department Bihar

2

e-SAMBANDHAN

शिक्षा विभाग

Education Department

Right to Education Online School Affilation

YOUR APPLICATION NO : -23014002025111411331 5 Welcome : 8969342118 [Log Out]

कागजात अपलोड करे

signature of School Head (स्कूल के मुख्य का हस्ताक्षर अपलोड करे) (PNG,JPG,JPEG)	Choose File No file chosen
अनुलग्नक अपलोड करे (PDF)	Choose File No file chosen
अनुलग्नक डाउनलोड करे (DownloadFrom.aspx)	
ADD SHOOOL FRONT VIEW PHOTO (PNG,JPG,JPEG)	Choose File No file chosen
ADD SCHOOL PLAYGROUND PHOTO (PNG,JPG,JPEG)	Choose File No file chosen
ADD SCHOOL CLASS ROOM PHOTO (PNG,JPG,JPEG)	Choose File No file chosen
ADD SCHOOL LIBRARY PHOTO (PNG,JPG,JPEG)	Choose File No file chosen
ADD SCHOOL OWTH CAMPUS PHOTO (PNG,JPG,JPEG)	Choose File No file chosen
Upload	

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved Education Department Bihar

2

स्वघोषणा -प्रपत्र (23014042025130130507)

क.	विद्यालय विवरण	
1.	विद्यालय का नाम	DON BOSCO PUBLIC SCHOOL
2.	शैक्षणिक सत्र	2025-2026
3.	जिला :	PATNA
4.	पत्राचार का पता	Don Bosco Public School
5.	गाँव / नगर	Ajwan
6.	प्रखण्ड	Naubatpur
7.	पिन कोड	801109
8.	दूरभाष संख्या एस ० टी ० डी ० कोड के साथ	
9.	फैक्स नं०	
10.	ईमेल पता (यदि कोई हो)	dbpspatnanp@gmail.com
11.	नजदीकी पुलिस स्टेशन	Naubatpur
12.	Udise Code	

(ख)	सामान्य सूचनाएँ	
1	स्थापना का वर्ष	2025
2	पहली बार विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि	01 Apr 2025
3	ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति का नाम	DON BOSCO ANGLO INDIAN MINORITY EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST
4	क्या ट्रस्ट /सोसाएटी / प्रबंधन समिति निबंधित है ?	Yes
5	क्या ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति के निबंधित की वैधता अवधि	31 Dec 2099
6	क्या ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति के गैरमालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की संपुष्टि हेतु सदस्यों की सूचि पता के साथ शपथ-पत्र के रूप में संलग्न है ?	Yes
7	विद्यालय के चेयरमैन /प्रेसीडेंट , मैनेजर के कार्यालय का पता :-	
	नाम	MS. VERONICA DEROZARIO
	पद नाम	PRESIDENT
	पता	VERTON HOUSE, MAGADH COLONY, KURJI 800010
	दूरभाष	7091662224
8	अंतिम तीन वर्षो के कुल आय एवं व्यय(बचत/ घाटा)	

वर्ष	आय	व्यय	अभियुक्ति
2023-2024	0.00	0.00	New School
2024-2025	0.00	0.00	New School
2025-2026	0.00	0.00	New School

(ग)	विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र :-	
1	शिक्षण का माध्यम	English
2	विद्यालय का प्रकार(प्रवेश एवं निकास की कक्षाएं अंकित करें)	Prep

V

3	यदि सहायता प्राप्त है तो सहायता प्रदत्त करने वाली एजेंसी का नाम एवं सहायता का प्रतिशत	
4	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है ?	No
5	यदि हाँ तो किस प्राधिकार द्वारा, निबंधित संख्या	NA
6	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है ?	Y
7	क्या विद्यालय के भवन/ अन्य आधारभूत संरचनाएं / मैदान केवल शिक्षा और कशल के लिए वव्वहृत की जाती है ?	Yes
8	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	68.75
9	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या-क्या सुविधाएँ है ?	PLAY GROUND, SMART CLASS, INDOOR GAMES, LIBRARY,OUTDOOR GAMES, ELOCUTION COMPETITIONS, MUSIC COMPETITION, DRAWING COMPETITION, COMPUTER CLASSES, YOGA,MARSHAL ARTS,CRAFT.

(घ.) नामांकन स्थिति :-

वर्ग	सेक्सलन की संख्या	विधार्थियो की संख्या
पूर्व प्राथमिक	1	1
1-5	3	5
6-8	1	2
पूर्व प्राथमिक	1	1
1-5	3	5
6-8	1	2

(च.) अधार भूत संरचना का ब्योरा एवं स्वच्छता की स्थिति :-

कक्ष	संख्या	औसत आकार
वर्गकक्ष	5	25*20
कार्यलय कक्ष-सह-भंडार, कक्ष-सह प्रधानाध्यापक कक्ष	3	20*11.6 , 19.6*12.9 , 11.6*10
रसोईघर-सह-भंडार	1	6*4.5

(छ) अन्य सुविधाएँ :-

1.	क्या सभी सुविधाएँ अवरोधरहित पहुँच के अन्तर्गत है	Yes
2.	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूचि संलग्न करें)	AUDIO VISUAL, TEACHING AIDS, TEXT BOOKS, SMART CLASS, ACTIVITY AIDS, WHITE BOARDS.
3.	खेलकूद सामग्री (सूचि संलग्न करें)	CRICKET SETS, FOOTBALL, BADMINTON, CHESS, CARROM, JIGSAW PUZZLES, AIR HOCKEY,BUILDING BLOCKS.
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा (हाँ /नहीं)	Yes
1.	पुस्तकों की संख्या	500
2.	पत्रिकाएँ /समाचार पत्र की संख्या	0
5.	पेयजल की सुविधा के प्रकार एवं संख्या	1
6.	स्वच्छता की स्थिति	
क.	डब्लू सी और मूत्रालय का प्रकार	Both Indian and Western

2

ख.	बालकों के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	4
ग.	बालिकाओं के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	3

(ज) शिक्षकों का ब्यौरा :

शिक्षक का नाम	पिता /पति / पत्नी का नाम	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक योग्यता	शैक्षणिक अनुभव	किस वर्ग के शिक्षक	नियुक्ति की तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	क्या आप प्रधान शिक्षक हैं
Suman kronch	Vijay Kronch	20 Jul 1993	POST GRADUATION	B.ED.	3	1-5	01 Apr 2025	Trained	No
Gitanjali Prakash	Krisna kumar	25 Feb 1987	Graduation	B.ED.	7	1-5	01 Apr 2025	Trained	No
Alka Sinha	Rakesh Roshan	06 May 1972	POST GRADUATION	B.ED.	21	6-8	02 Dec 2024	Trained	No
Nisha Lawrence	Lawrance James	31 Dec 1996	Graduation	B.ED.	3	1-5	01 Apr 2025	Trained	No
Rheu Raji	Raji James	03 Jan 1994	Graduation	B.ED.	7	6-8	01 Apr 2025	Trained	No
Neelu Kumari	Atulya Prasad	03 Jul 1978	POST GRADUATION	B.ED.	13	6-8	01 Apr 2025	Trained	No
Elvis Mark Strong	Adolph Strong	06 Oct 1994	Graduation	B.ED.	6	6-8	01 Apr 2025	Trained	No
Rohit Kumar	Krishna Kumar Sharma	19 Feb 1994	POST GRADUATION	B.ED.	9	1-5	01 Apr 2025	Trained	No
Shakshi Singh	Vivekanand Singh	01 Jan 1994	Graduation	B.Ed.	2	1-5	01 Apr 2025	Trained	No
Abhash Pratik	Dilip Kumar	21 Nov 1997	Graduation	B.ED.	3	1-5	01 Apr 2025	Trained	No
Sudhakar	Sheo Kumar Singh	26 Jul 1989	Graduation	B.ED.	5	6-8	01 Apr 2025	Trained	No
Nilesh Lazlie Raymond	Raymond Richard	20 Feb 1996	Graduation	B.ED.	1	6-8	01 Apr 2025	Trained	No

(झ.) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या :

1	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है। (वर्ग 8 तक)	DETAILS ADDDED AS ATTACHMENT.
2	छात्रों के आकलन की पद्धति	CONTINOUS EVALIATION , TERM END EXAMS
3	क्या विद्यालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है।	No

ट. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डाइस) में भी समर्पित किया गया है।

ठ. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।

ड. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय मानव संसाधन विकास विभाग, द्वारा समय समय पर मांगे जाने वाले प्रतिवेदन और सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उनका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निर्धारित मापदंड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप कमियों को दूर करने हेतु निरंतर प्रयास करेगा।

ढ. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अभिलेख वैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को

उपलब्ध करायेगा जिससे केन्द्र स्थानीय निकाय या प्रशासन को संसद/राज्य के विधान सभा/ पंचायत /नगर निगम (जो लागू हो), के प्रति जवाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।

Step-5 – <u>School Dashboard</u> पर सभी वांछित सूचनाएं अंकित किया जाने एवं संदर्भित अभिलेख अपलोड किये जाने के पश्चात जैसे ही आवेदक स्कूल Finalize बटन पर click करेंगे। आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास चला जाएगा।

RTE School Data

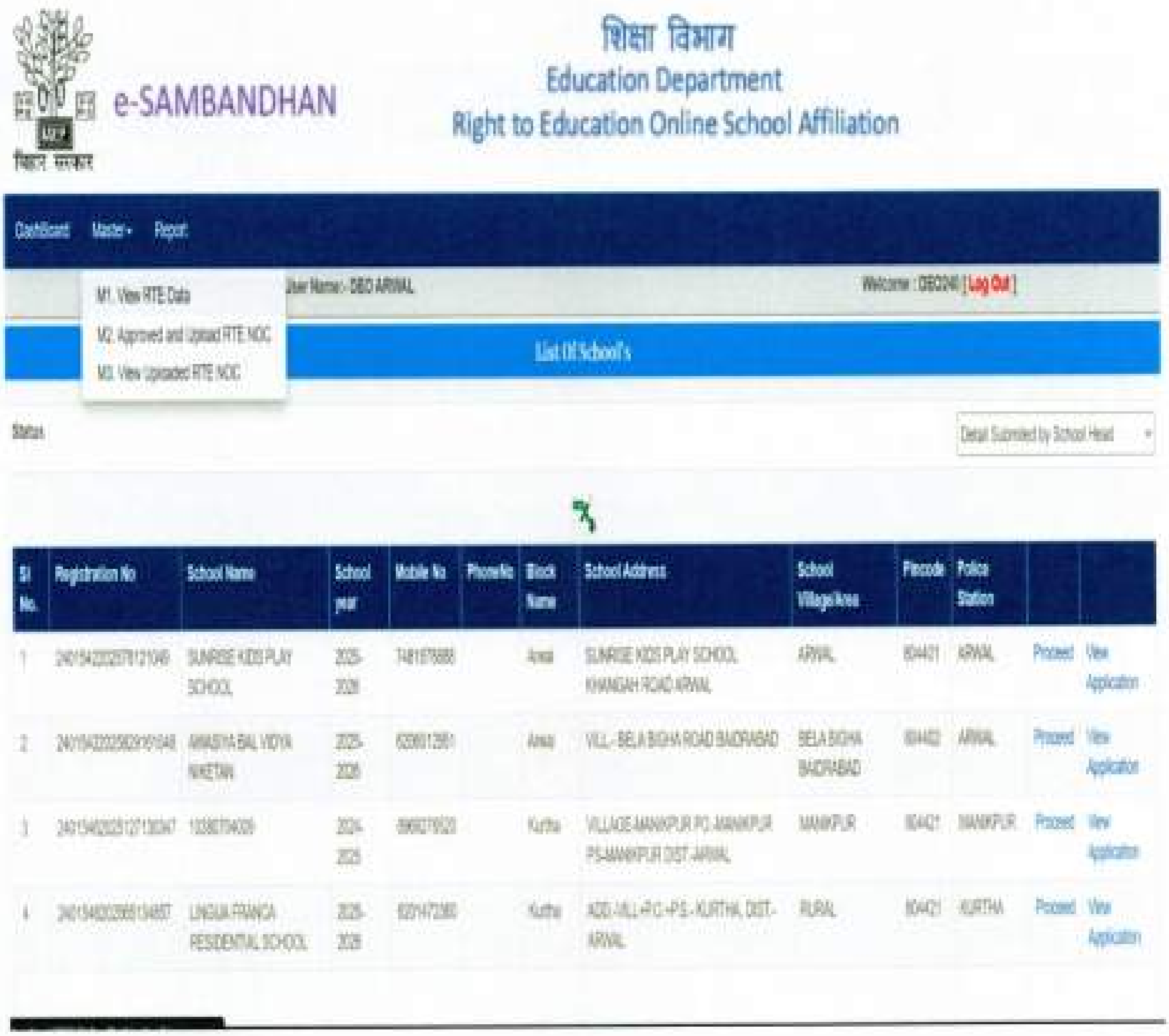

2

List Of School's for Approval of RTE NOC

List Of School's for Approval of RTE NOC

बिहार सरकार

e-SAMBANDHAN

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

DashBoard Master▾ Report

District Name - ARWAL | User Name - DEO ARWAL

Welcome : DEO240 [Log Out]

List Of School's for Approval of RTE NOC

Status NOC Uploaded List

Sl No.	Registration No	School Name	School year	Mobile No/ Phone No	Email ID	Block Name	School Address	School Area/ Pincode	Police Station	Remarks By BEO	
1	2401542202110121T2808	MANTHAN RESIDENTIAL SCHOOL NIGHWAN	2021-2022	8651421307	OKMALAKAR1811@GMAIL.COM	Arwal	VILL-NIGHWAN PO-NIGHWAN	NIGHWAN 804421	KURTHA	Approved	View Upload Detail
2	24015422021102224105	ASSEMBLY OF GOD SCHOOL OF EDUCATION	2021-2022	7461838796 7461838796	agemsakari@gmail.com	Arwal	VILL. - SAKARI, P.O. - SAKARI CHOWK, ARWAL, BIHAR	SAKARI 804401	ARWAL	Approved	View Upload Detail
3	24015422021102810171T	ST.KARENS PUBLIC SCHOOL ARWAL	2020-2021	8340450918	stkarens12@gmail.com	Arwal	JB ROAD ARWAL	9 NUMBER PUL 804401	ARWAL	acceptable	View Upload Detail

2

Application History

शिक्षा विभाग

e-SAMBANDHAN

बिहार सरकार

Education Department

Right to Education Online School Affiliation

DashBoard Master ▾ Report

District Name:- ARWAL | User Name:- DEO ARWAL   Welcome : DEO340 [Log Out]

List Of RTE Record Submitted by Schools

Select District   Select Registration Type   New Registration ▾

Sl No.	Application No	School Name	Mobile No / Email Id	Current Status	Remarks	Registration Date	Finalised Date	Action By DEO	Action By BEO	No of Day Pending at DEO	No of Day Pending at BEO	
1	24115422021107060429	ANMOL BACHPAN PLAY SCHOOL	9939165180 abpschoolarwal@gmail.com	NOC Uploaded List	Approved	27-09-2021 6:20:44 AM	29-11-2021 7:23:43 AM	17-02-2022 2:25:28 PM	07-04-2022 4:46:41 PM	80	45	Activity Log
2	24115422022110175700	SARVODAY CAREER HIGH SCHOOL	7903771981 [illegible]@gmail.com	Resolve By Block (BEO) and send to District(DEO)	Approved	09-11-2022 5:56:44 PM	15-11-2022 7:44:09 PM	02-12-2023 5:38:13 PM	13-01-2024 4:33:39 PM	384	42	Activity Log
3	24115422023115154406	BHARAT BHARTI PUBLIC SCHOOL	9199727301 [illegible]@gmail.com	Rejected by District DEO	APPROVED	15-01-2023 3:44:30 PM	31-01-2023	02-12-2023	08-01-2024	305	37	Activity Log

Step-6 – जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदन की जॉच करते हुए नियमानुसार योग्य आवेदन को स्थलीय जॉच हेतु प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के पास अग्रसारित करेंगे अथवा अयोग्य आवेदन को अस्वीकृत करेंगे।

Step-7 – प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी स्थलीय जॉच कर सही पाये गये आवेदन को वापस जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजेंगे अथवा गलत पाये गये आवेदन को अस्वीकृत करेंगे।

View Data

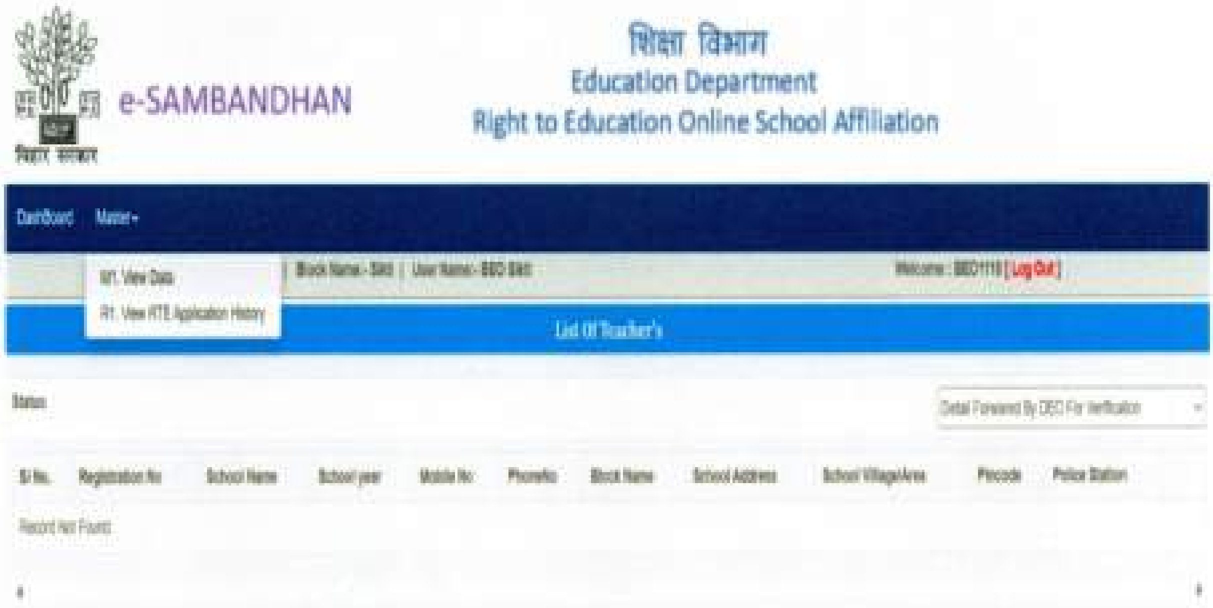

Application History

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

e-SAMBANDHAN

बिहार सरकार

Dashboard Master

District Name - ARARIA | Block Name - SIKTI | User Name - BEO SIKTI

Welcome : BEO1115 [Log Out]

List Of RTE Record Submitted by Schools

Select District

Select Registration Type

New Registration

Sl No.	Application No	School Name	Mobile No / Email Id	Current Status	Remarks	Registration Date	Finalised Date	Action By DEO	Action By BEO	No of Day Pending at DEO	No of Day Pending at BEO	
1	[illegible]	BRIGHT CAREER ACADEMY	[illegible]@gmail.com	NOC Uploaded List	TO THE PHYSICAL VERIFICATION OF THE PRIVATE SCHOOL RECORD VERIFICATION HAS BEEN DONE PLS GIVE THE CODE AND AFFILIATION	25-11-2021 12:54:48 PM	25-11-2021 3:22:13 PM	13-02-2022 10:35:10 AM	14-04-2022 1:20:59 PM	[illegible]	[illegible]	Activity Log
2	[illegible]	PATLIPUTRA PUBLIC SCHOOL	[illegible]@gmail.com	NOC Uploaded List	To the physical verification of the private school record	29-11-2021 6:24:30 PM	30-11-2021 9:49:48	13-02-2022 1:21:28	14-04-2022 1:22:20	75	00	Activity Log

Activity Log details

Step-8 – प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त सही पाये गये आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी त्रि–सदस्यीय समिति के समक्ष रखेंगे।

Step-9 – त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा समीक्षोपरांत आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाएगा।

Step-10 – त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा स्वीकृत आवेदन के आलोक में संबंधित प्रारंभिक निजी विद्यालय को प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र (NOC/QR Certificate) निर्गत किया जाता है एवं उक्त प्रमाण–पत्र को e-sambandhan Portal पर अपलोड किया जाता है। संबंधित प्रारंभिक निजी विद्यालय उक्त प्रमाण पत्र को School Login कर देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं।

Registration no: (23014002025331200919) Date: (15-09-2025) Valid till: (15-9-2028)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA

शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / सचिव / प्रबंधक

DON BOSCO GIRLS SCHOOL

108-A PATLIPUTRA COLONY

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रावधानों बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 31-03-2025 और उसके क्रम में आपके किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विवादमुक्ति समिति के बैठक दिनांक : 15-09-2025 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय DON BOSCO GIRLS SCHOOL , 108-A PATLIPUTRA COLONY, PATNA, 800013 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 15-09-2025 से 15-9-2028 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कण्डिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इनमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काषित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा ।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 39.0302 डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 39.0302 डिसमिल

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- INDOOR GAMES AND PT GROUND , AC CLASS ROOMS ,INTERACTIVE SMART BOARDS , LIBRARY BOOKS FOR CHILDREN , COMPUTER LAB.

(iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 5

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 5

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 6 , Girls 15

(vii) पेयजल की सुविधा :- 6

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 5

(ix) बाधारहित पहुँच ( ) :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल-कूद उपकरण, पुस्तकालय :- INTERACTIVE WHITE BOARDS,AUDIO AND VIDEO MATERIALS,FLASHCARDS,CHARTS,COMPUTERS , FOOTBALL , CRICKET, CHESS , CARROM BAORD , FRISBEE, TENECOIT RINGS , (Y , 200 , NewsPaper MagaZine:- 2)

11. कोई भी अप्राधिकृत वर्गकार विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या (23014080202531200818, 2025) है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप में पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक II के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्वासभाजन
ह० /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, PATNA
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

NOC LETTER

15/09/25
जिला कार्यक्रम पदा०
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान
पटना

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
1315
पटना

2

Step-11 – प्रारंभिक निजी विद्यालय को प्रस्वीकृति 3 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। उक्त अवधि समाप्त होने के उपरान्त विद्यालय द्वारा School Login कर Renewal Button के द्वारा Renewal हेतु आवेदन किया जाता है। प्राप्त User Id एवं Password से Login कर आगे की प्रकिया करें।

Step 1: Navigate to the home page and click on the "Registered User Login" menu to open the login page.

Step 2: Enter your registered mobile number as the username and provide your password to log in.

Step 3: On the school's dashboard page, if an NOC has been provided, a "Renewal" button will appear. Click the "Renewal" button to renew the school for the next session.

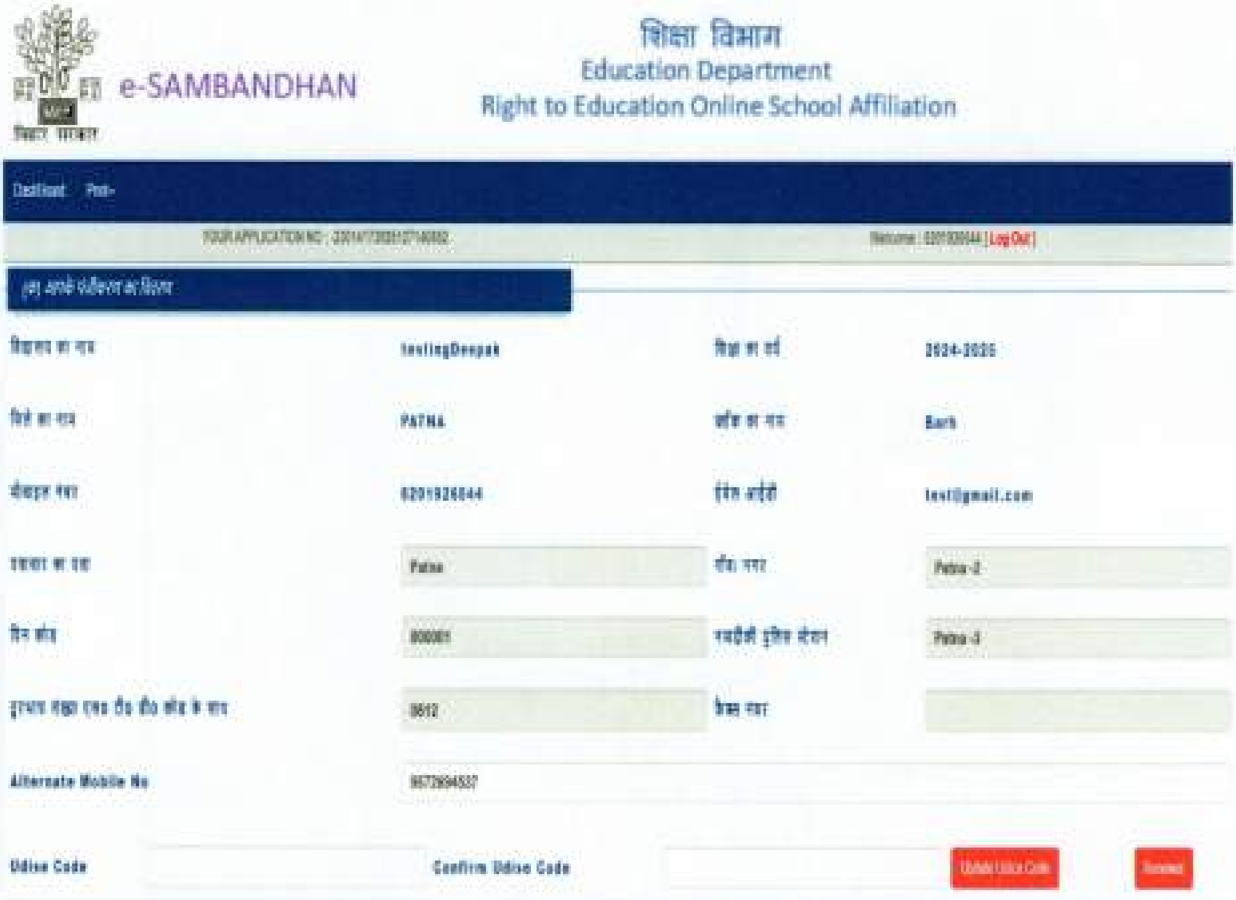

Step 4: Once the renewal is successful, a confirmation message will be displayed, and a notification will be sent to the registered mobile number with the new User ID and password for login.

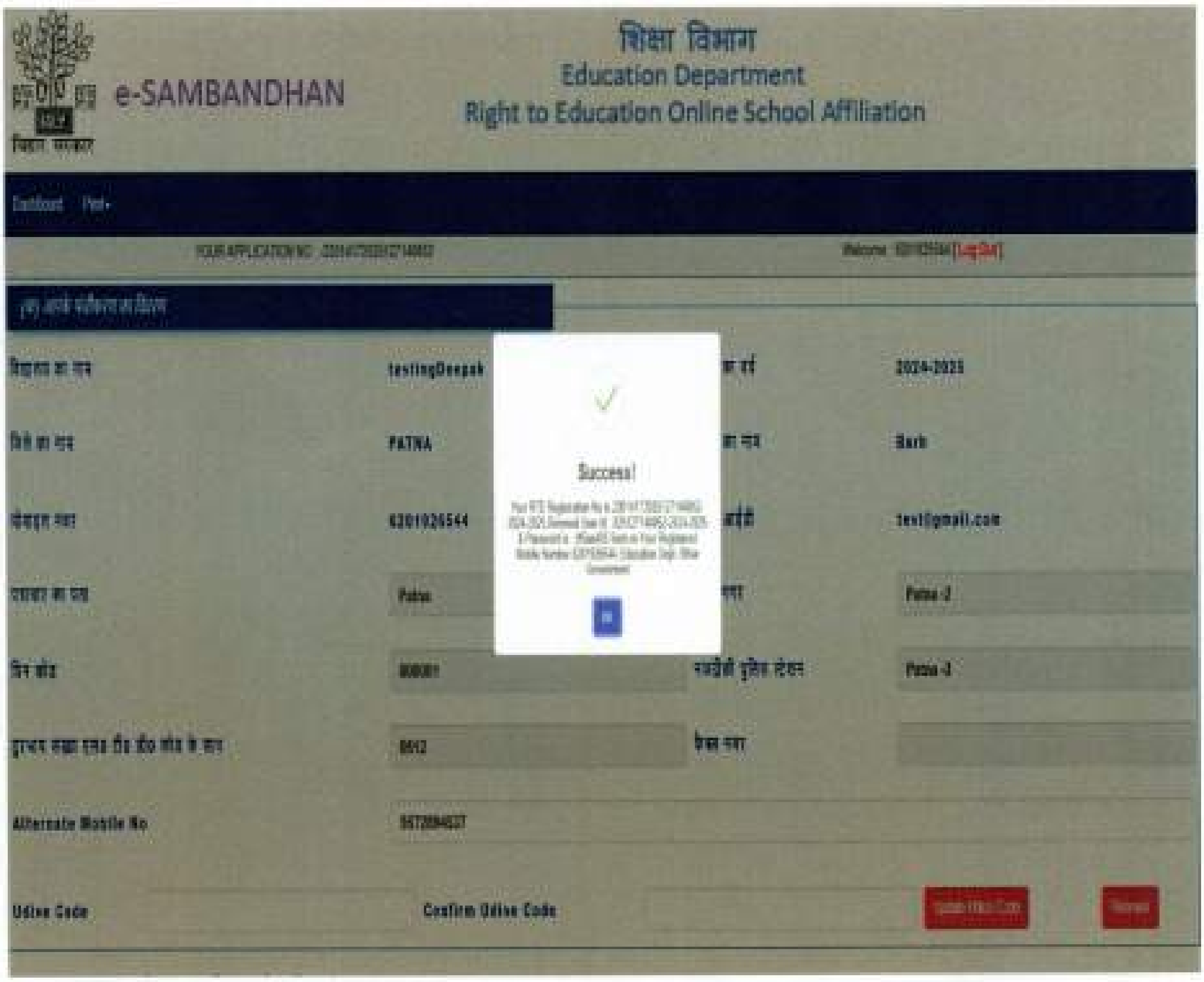

Step 5: After logging in with the new User ID and password, the registration details will be filled, while other details will remain pending.

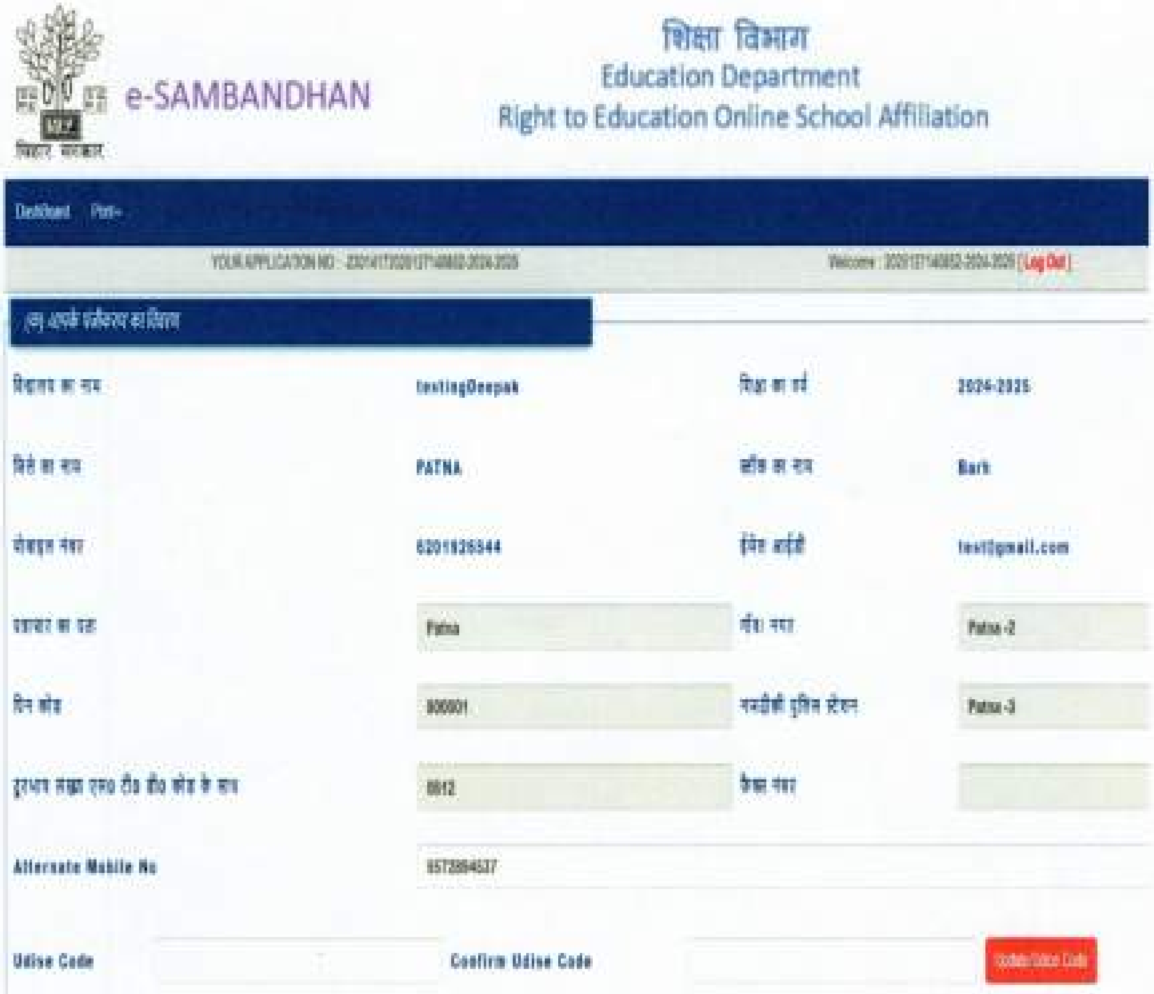

Step 6: The process to fill out the form is the same as the previous steps.

1.	(क) सामान्य सूचनाएँ , तथा (ख) विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र :-	Pendig Details
2.	(ग) नामांकन स्थिति :-	Pendig Details
3.	(घ) आधारभूत संरचना का ब्यौरा एवं स्वच्छता की स्थिति :-	Pendig Details
4.	(ङ) अन्य सुविधाएँ , तथा (च) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या :-	Pendig Details
5.	(छ) शिक्षकों का ब्यौरा :-	Pendig Details
6.	कागजात अपलोड करें :-	Pendig Details
7.	Finilise :-	Some Details Are Pending For Upload

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved Education Department Bihar

Step-12 – शिक्षा विभाग के स्तर से e-sambandhan Portal की monitoring की जाती है।

District and Block Wise Status

बिहार सरकार

e-SAMBANDHAN

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

DashBoard Report

Welcome : hq [Log Out]

District and Block Wise Status

New Registration

SN	District Name	Total School Applied	Partial Registration	School Finally Submitted	Pending at DEO Level-1	Rejected By DEO Level-1	Forwarded By DEO Level-1	Pending at BEO	Rejected By BEO	Verify By BEO	Pending at DEO Level-2	Rejected By DEO Level-2	Total NOC Generated
1	ARARIA	1656	886	778	8	31	777	33	104	590	1	3	537
2	ARWAL	428	255	171	6	33	144	0	45	98	8	0	98
3	AURANGABAD	1502	981	550	8	203	747	73	291	473	16	0	387
4	BANKA	865	553	312	3	41	267	12	41	214	11	0	201
5	BEGUSARAI	1523	929	694	7	83	615	30	42	547	8	0	538
6	BHAGALPUR	1391	779	572	15	96	462	58	55	373	28	1	346
7	BHOJPUR	1912	1000	819	8	100	715	58	143	515	26	0	487
8	BUXAR	1101	683	438	3	84	354	37	124	193	1	0	193
9	DARBHANGA	1772	1177	565	38	19	537	22	62	453	7	0	446
10	EAST CHAMPARAN	2130	1269	861	2	224	635	47	145	446	22	0	424

District and Block Wise Status

बिहार सरकार

e-SAMBANDHAN

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

DashBoard Report▾

Welcome : [illegible] [Log Out]

District and Block Wise Status

Renewal

SN	District Name	Total School Applied	Partial Registration	School Finally Submitted	Pending at DEO Level-1	Rejected By DEO Level-1	Forwarded By DEO Level-1	Pending at BEO	Rejected By BEO	Verify By BEO	Pending at DEO Level-2	Rejected By DEO Level-2	Total NOC Generated
1.	ARARIA	48	38	12	2	1	9	9	0	0	0	0	0
2.	ARWAL	3	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
3.	AURANGABAD	44	12	32	0	0	32	18	0	14	14	0	0
4.	BANKA	6	4	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0
5.	BEGUSARAI	75	65	10	2	0	8	8	0	0	0	0	0
6.	BHAGALPUR	74	24	50	14	0	36	35	0	1	1	0	0
7.	BHOJPUR	97	52	45	0	0	45	29	5	11	11	0	0
8.	BUXAR	3	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
9.	DARBHANGA	59	42	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	EAST CHAMPARAN	49	30	19	0	0	19	11	0	8	3	0	5

2

District Wise Status

e-SAMBANDHAN

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

DashBoard Report ▾

Welcome : hq [Log Out]

District Wise Status Report

New Registration ▾

SN	District	Total Registration	Total Finalised	Verify By DEO	Verify By BEO	Total Rejected
	ARARIA	[illegible]	[illegible]	23	388	209
	ARWAL	[illegible]	[illegible]	3	53	69
	AURANGABAD	[illegible]	[illegible]	75	325	455
	BANKA	[illegible]	[illegible]	12	203	86
	BEGUSARAI	[illegible]	[illegible]	30	285	110
	BHAGALPUR	[illegible]	[illegible]	58	247	125
	BHOJPUR	[illegible]	[illegible]	58	526	245
	BUXAR	[illegible]	[illegible]	37	179	208
	DARBHANGA	[illegible]	[illegible]	22	389	81

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–08/स्था० 24–14/2025 –29 पटना/दिनांक 07.01.2026

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा